CANCELLED CANCELLED

244

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर खण्डपीठ, जबलपुर

राजस्व पुनरीक्षण क्रं0 : R 4002 /2016-17 I-16

203

महेश कुमार तिवारी उम्र 62 साल वल्द स्व0
श्री गिरधारी उर्फ खुमान प्रसाद तिवारी-निवासी-
गनेशगंज तहसील-लखनादौन जिला-सिवनी. .... पुनरीक्षणकर्ता

श्री बी० एम० त्रिपाठी
अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार रीडर
0 8 NOV 2016
पर्यवेक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर

वि रू द्ध

रवि प्रकाश गुप्ता वल्द स्व0 रामनाथ
गुप्ता निवासी-गनेशगंज तहसील-
लखनादौन जिला-सिवनी. .... उत्तरवादी

203

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता

श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी, लखनदौन द्वारा 060/आर.सी.एम/57/2015-16 राजस्व अपील में आदेश दिनांक 05.10.2016 द्वारा जारी स्थगन आदेश समाप्त करने से व्यथित होकर यह अपील निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है।

पुनरीक्षण के तथ्य

1. यह कि, ग्राम गनेशगंज स्थित भूमि बंदोबस्त पूर्व ख. नं0 28 रकबा 21 डिसमिल अर्थात 0.08 आरे के भू-स्वामी उत्तरवादी के पूर्व नन्दराम 1954-55 में थे, उनकी मृत्यु के बाद स्वर्गीय रामनाथ भू-स्वामी हुए। बंदोबस्त पूर्व बिना बंटवारा हुए ही भूमि को दो खण्ड में 28/1 रकबा 0.061 आरे एवं 28/2 रकबा 0.024 आरे, कुल 0.085 आरे दर्ज किया गया। बंदोबस्त के समय बिना बंटवारा हुए ही खसरा नं. 28/1 रकबा 0.061 आरे को दो खण्ड में 28/1 टु रकबा 0.01 आरे एवं 28/2 टु रकबा 0.11 आरे कर दिया गया। इस प्रकार 0.061 आरे को दो खण्ड बना कर 0.012 आरे बना दिया गया। पुनः बंदोबस्त में इन तीन खण्डों को तीन नये खसरा नं. 32, 33, 34 रकबा 0.01, 0.02, 0.11 कुल 0.14 आरे कर दिया गया। एक ही ख.नं.28 को बिना बंटवारा हुए तीन खण्ड किया गया एवं रकबा बढ़ाकर तीन नक्शे भी बना दिये गये। खसरा नं. 32 एवं 33 का नक्शा पूरा ही अपीलार्थी

R/sc

R- 4002/16 (सिवनी)

24/11/16 जबलपुर	आवेदक की ओर से अधि. श्री वी. एम. त्रिपाठी उप. अहै ग्राह्यता एवं स्थगन पर सुना गया। ② आवेदक अधि. के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि SDO ने दोनों पक्षों को सुनकर पूर्व में जारी स्थगन को निरस्त किया है तथा प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया है अतः इस आदेश में प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। आवेदक को अपना पक्ष रखने का अवसर अधीनस्थ न्यायालय में उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। (हस्ताक्षर) सदस्य
R ...	